

107 द. प्र. स. 0



न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

सुरेश मधो
वनाम

मुन्ना मधो वी

M-107 / 2017 आदेश पत्रक

~~28/11/17~~
22/11/17

अभिलेख संख्या :- एम. 107 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 28/17

403
22/12/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 7/12/17 को उपस्थापित करें।

22/11/17
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

10/5/18

प्रथम पत्र के रुक 2162-4, विषय
के 61 अंक उक्त पुस्तक प्रथम पत्र
के सहाय अनुषंगित / ~~उक्त पुस्तक के~~ काम
वापिस लेने के लिये (अर्थात्) वह बकाया है।

10/5/18